आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्याः 310/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पावर हाऊस रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स आसाम टिम्बर द्वारा
   प्रोपराईटर श्री मनोज कुमार जैन
   प्रोपराईटर विनोद कुमार जैन एवं
   प्रोपराईटर श्रीमती कान्ता देवी जैन
   पता–डी–8, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ।
2. मनोज कुमार जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन
3. श्रीमती कान्ता देवी जैन पत्नी श्री अशोक कुमार जैन
4. विनोद कुमार जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन
5. सुमेर चन्द जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन
6. माल चन्द जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन
7. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री माल चन्द जैन
8. अशोक कुमार जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन
   निवासीगण–11 उगम पथ, बनीपार्क, जयपुर ।
9. मैसर्स श्री श्याम विनियर प्रोडेक्ट्स द्वारा प्रोपराईटर सुमेर चन्द जैन
   कार्यालय पता–प्लाट नं॰ ई–115/155, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण ऋणी
एवं सहऋणी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :–

1. श्री रजत बंसल अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक : 12.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मैसर्स श्याम विनियर प्रोडेक्ट्स प्रोपराईटर श्री सुमेरचन्द जैन के

जिस्ट्रेट
जयपुर

स्वामित्व की सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र बस्सी भू–खण्ड संख्या E 115/155, क्षेत्रफल 1920 वर्गमीटर को बन्धक एवं उक्त भूखण्ड पर स्थित प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अन्य फिक्स एसेट्स को हाईपोथीकेटेड कर दिनांक 17.12.2012 को एवं अन्तिम नवीनीकरण दिनांक 31.03.2020 तक Cash Credit राशि 100 लाख रूपये, WCTL राशि 260 लाख रूपये एवं FITL राशि 8.96 लाख रूपये कुल राशि 368.96 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को Cash Credit राशि 100 लाख रूपये, WCTL राशि 260 लाख रूपये एवं FITL राशि 8.96 लाख रूपये कुल राशि 368.96 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 3,53,70,195.49 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 03.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त कार का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स श्याम विनियर प्रोडेक्ट्स प्रोपराईटर श्री सुमेर चन्द जैन के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र बस्सी भू–खण्ड संख्या E 115/155, भूमि एवं भवन क्षेत्रफल 1920 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मजिस्ट्रेट
क्टर) जयपुर

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसर शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर